Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत – सब डिविजनल ऑफिसर   मुकाम – फुलियाकलां

कन्हैयालाल   बनाम   TDR फुलियाकलां आदि

किस्म मुकदमा – 89 आर टी एक्ट   प्रकरण संख्या – 20 / 21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील से जारी हुए
28.06.2021	वकील वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 89 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया। वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये सम्मन तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण की तलबी हेतु दिनांक 13.08.2021 को पेश हो। [signature] 13/8/21 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित P.O. सा. PO अवकाश अन्य कार्य में व्यस्त / बाहर पधारे/अभियान में व्यस्त अवकाश पर है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 11/11/21 को पेश हो। [signature] 28.11.2021 पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम डोहरिया में पैश हुई। वादी स्वयं शिविर में उपस्थित। विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां की और से पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा खाता दुरूस्ती आवेदन पत्र/ शुद्धी पत्र के माध्यम से वादी द्वारा चाही गई दाद शिविर केम्प कोट में ही दे दी गई। ऐसी स्थिति में इस वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ति में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः वादी का वादपत्र को इसी स्तर पर प्रत्याहरित किये जाने ... पारित की जाती है। पत्रावली ... से ... कर जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Meena
Date: 2021.12.21 11:49:00 IST
Reason: SelfAttested